



फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

प्राथी..... बडीलाल जारिया विपक्षी..... कुन्ना जारिया
किस्म मुकदमा..... 136 पत्रावली संख्या..... 47/22 सन.....

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी / प्रतिवादी / गवाह / आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
7/03/22	प्रकरण दर्ज होकर पेरा नम्बर प्रतिपक्ष की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक <u>24/05/22</u> को वारते जमाना छतु पेरा हो।  उपखण्ड अधिकारी भीण्डर	
24/05/22	पत्रावली पेरा हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप./ उपस्थित अधि. वरत। प्रमाण न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/पत्रावली कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी की आज्ञा अवकाश/ भ्रमण/भीटिंग में पधारे हे। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम दिनांक <u>22/8/22</u> को पेरा हो।	
08/8/22	पत्रावली तलब की गई। राष्ट्रिय लोक अदालत होने से पत्रावली राष्ट्रिय लोक अदालत में दिनांक 13/8/22 को पेरा हो। 	
13/8/22	पत्रावली पेरा हुई। प्रकरण में पत्रावली के अद्ययत्र से भेद पाया कि प्रकरण को लिपिकीय त्रुटि से रिपोर्ट को दर्ज कर दिया गया। उक्त प्रकरण में दर्ज रिपोर्ट प्रकरण संख्या 236/21 अमान बडीलाल वसन्त कर्मा से संबंधित है। उक्त लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज होने से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया है। पत्रावली में साल शुभारंभ और नवंबर से प्रमाण सुगया गया। 